



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102025-267046  
CG-DL-E-21102025-267046

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4624]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947

No. 4624]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2025

**का.आ. 4753(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 726 तारीख 11/02/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अम्बेडकर नगर जिले में NH233 के कि.मी. 121.800 से कि.मी.164.750 (आफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अम्बेडकरनगर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "दिनांक 18 फरवरी, 2025" टाइम्स ऑफ इंडिया" और "अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के अम्बेडकर नगर जिले में NH-233 के कि.मी. 121.800 से कि.मी.164.750 (आफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आम्बेडकरनगर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: अम्बेडकर नगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: टांडा					
गांव का नाम: मुजाहिदपुर					
1	28	निजी (निजी)	कृषि	0.0414	देवीप्रसाद पुत्र सूर्यबली, कामता प्रसाद सिंह/दत्तक पुत्र अभिलाख, लालता प्रसाद पुत्र श्रीपति, रणजीत पुत्र श्रीपति, जंगजीत पुत्र श्रीपति, शिवानन्द सिंह पुत्र माता प्रसाद सिंह 28
<b>Total</b>				<b>0.0414</b>	

[फा. सं. NHAI/11013/01/2010/LA-Notif/BOT/UP-Varanasi/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2025

**S.O. 4753(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **726 Dated:11/02/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH233 in the stretch of land from Km. 121.8 to Km. 164.75 (OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE AMBEDAKARNAGAR) in the district of AMBEDKAR NAGAR in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times Of India” and “Amar Ujala” both dated **18.02.2025**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH233 in the stretch of land from Km. 121.8 to Km. 164.750 (OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE AMBEDKARNAGAR) in the district of AMBEDKAR NAGAR in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: AMBEDKAR NAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Tanda</b>					
<b>Village: Mujahidpur</b>					
1	28	Private	Agriculture	0.0414	Deviprasad son of Suryabali, Kamta Prasad Singh adopted son Abhilakh, Lalta Prasad son of Shripati, Ranjit son of Shripati, Jangjit son of Shripati, Shivanand Singh son of Mata Prasad Singh 28
<b>Total</b>				<b>0.0414</b>	

[F. No. NHAI/11013/01/2010/LA-Notif/BOT/UP-Varanasi/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director